If a Departmental promotion committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
In cadre post of Controller General of Accounts. To be filled by transfer from other organisation of Controller General of Accounts.	Not applicable

[F. No. 1-5/2010-NDRF]

DEV KUMAR, Director (DM-I)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 766(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 3) की धारा 75 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नियम, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में समूह 'ख', अराजपत्रित योद्धक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल समूह 'ख' और समूह 'ग' अराजपत्रित, योद्धक पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (संचार)	1* (एक) (2011) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु. + 4600 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

38-905/11-4

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर संविदा के आधार पर ।	केन्द्रीय राज्य पुलिस संगठनों की संचार शाखा से कार्मिक : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं और सुसंगत क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं; या (ii) उपनिरीक्षक, संचार जो उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सुसंगत क्षेत्र में 8 वर्ष का अनुभव रखते हैं; (iii) चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त (शेष-I प्रवर्ग) **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **संविदा के आधार पर :** ऐसे भारतीय नागरिक जो इलैक्ट्रानिकी और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा रखते हैं तथा जो संचार या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (संविदा तीन वर्ष की अवधि के लिए है जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) ।

IndiaCode

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
तथापि प्रतिनियुक्ति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय द्वारा चयन/स्क्रीनिंग समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर की जाएगी : 1. महानिदेशक, एन डी आर एफ —अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक, एन डी आर एफ —सदस्य 3. एक सहायक सेनानी (संचार) अध्यक्ष द्वारा एन डी आर एफ बटालियन से नामनिर्दिष्ट —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. निरीक्षक (प्रोग्रामर)	1*(एक) (2011) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन बैंड-2 : 93,000-34,800 रु. + 4600 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर संविदा के आधार पर	केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों या राज्य पुलिस या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों के ऐसे कार्मिक– (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) उपनिरीक्षक (प्रोग्रामर), जो मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्थानों से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में डिग्री रखते हैं और उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं; और जिनके पास सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में 3 वर्ष का अनुभव है; या (iii) निरीक्षक (कार्यपालक) जो मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में डिग्री रखते हैं और जो नियमित आधार पर सेवा कर रहे हैं और जिनके पास सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में 3 वर्ष का अनुभव है; या (iv) उपनिरीक्षक (कार्यपालक), जो मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से साफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में डिग्री रखते हैं और उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं और जिनके पास सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में 5 वर्ष का अनुभव है।

IndiaCode

(11)	
	(ख) जिनके पास सॉफ्टवेयर में डिग्री है।
	टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	संविदा के आधार पर : ऐसे भारतीय नागरिक जो निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हैं :–
	(i) मान्यताप्राप्त संस्थानों से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री के साथ उस क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
	या
	(ii) मान्यताप्राप्त संस्थानों से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक डिग्री के साथ उस क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्य अनुभव।
	टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (संविदा तीन वर्ष की अवधि के लिए है जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)।

(12)	(13)
तथापि प्रतिनियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय द्वारा चयन/स्क्रीनिंग समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर की जाएगी : 1. महानिदेशक, एन डी आर एफ —अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक, एन डी आर एफ —सदस्य 3. एक उप-सेनानी (इंजीनियर), अध्यक्ष द्वारा एन डी आर एफ बटालियन से नामनिर्दिष्ट —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. निरीक्षक (अनुसंचिवीय)	1* (एक) (2011) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन बैंड-2 93,000-34,800 रु. + 4600 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

IndiaCode

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति :— केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के ऐसे योद्धक या गैर-योद्धक,— (i) जो सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं। (ii) चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त (शेप-1 प्रवर्ग)। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
तथापि प्रतिनियुक्ति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय द्वारा चयन/स्क्रीनिंग समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर की जाएगी : 1. महानिदेशक, एन डी आर एफ —अध्यक्ष 2. उप-महानिरीक्षक, एन डी आर एफ —सदस्य 3. उप सेनानी (प्रशासन) —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. उपनिरीक्षक (आशुलिपिक)	2* (दो) (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु.+ 4200 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

3890 GI/11-5

IndiaCode

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति :— केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के ऐसे योद्धक या गैर-योद्धक कार्मिक,— (i) जो समंगत क्षेत्र में 5 वर्ष के अनुभव के साथ नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं। (ii) चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त (शेप-1 प्रवर्ग)। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
तथापि प्रतिनियुक्ति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय द्वारा चयन/स्क्रीनिंग समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर की जाएगी : 1. महानिदेशक, एन डी आर एफ —अध्यक्ष 2. उप-महानिरीक्षक, एन डी आर एफ —सदस्य 3. उप सेनानी (प्रशासन), एन डी आर एफ —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय)	2* (दो) (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन बैंड-2, 9,300-38,800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या राज्य पुलिस सेवाओं या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों के ऐसे कार्मिक,— (i) जो नियमित आधार पद सदृश पद धारण कर रहे हैं, या

(11)
(ii) सहायक उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय) जो उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं। (iii) चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त (शेप-1 प्रवर्ग) । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे 5 वर्ष बढ़ाया जा सकता है । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
तथापि प्रतिनियुक्ति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय द्वारा चयन/स्क्रीनिंग समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर की जाएगी : 1. महानिदेशक, एन डी आर एफ —अध्यक्ष 2. उप-महानिरीक्षक, एन डी आर एफ —सदस्य 3. उप सेनानी (प्रशासन), एन डी आर एफ —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सहायक उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय)	1* (एक) (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + 2800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय पुलिस संगठन या राज्य पुलिस संगठन या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों के ऐसे कार्मिक,— (i) जो सुसंगत क्षेत्र में 5 वर्ष के अनुभव के साथ नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं। (ii) चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त (शेप-1 प्रवर्ग) ।

IndiaCode

(11)
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
तथापि प्रतिनियुक्ति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय द्वारा चयन/स्क्रीनिंग समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर की जाएगी : 1. महानिदेशक, एन डी आर एफ —अध्यक्ष 2. उप–महानिरीक्षक, एन डी आर एफ —सदस्य 3. उप सेनानी (प्रशासन), एन डी आर एफ —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक)	3* (तीन) (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)	वेतन बैंड–1, 52,00-20200 रु. + 2800 रु. ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों के ऐसे कार्मिक,— (i) जो सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं। (ii) चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त (शेप-1 प्रवर्ग) । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में

(11)	
	इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
	टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
तथापि प्रतिनियुक्ति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय द्वारा चयन/स्क्रीनिंग समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर की जाएगी :	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, एन डी आर एफ —अध्यक्ष	
2. उप-महानिरीक्षक, एन डी आर एफ —सदस्य	
3. उप सेनानी सेनानी (प्रशासन), एन डी आर एफ —सदस्य	

[फा. सं. 1-5/2010-एन.डी.आर.एफ.]

देव कुमार, निदेशक (आ.प्र.-1)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2011

G.S.R. 766(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) read with clause (f) of sub-section (2) of Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 to read with rule 3 of the National Disaster Response Force Rules, 2008, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' Non-Gazetted, Combatised posts in the National Disaster Response Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Disaster Response Force, Group 'B' and Group 'C', Non-Gazetted, Combatised Posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the abovesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who having entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

3890 GI/11—6

IndiaCode